सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : पापडा, कैम्प दिनांक 28.06.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 67/2015 दायर तारीख 24.06.2015

1. टीकमसिंह पुत्र ओमसिंह राजपूत निवासी विराटनगर हाल 198 महाराणा प्रतापनगर, खातीपुरा जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. बंशीधर योगी पुत्र सुरजमल योगी जाति जोगी निवासी गणेश जी मंदिर रोड विराटनगर, तहसील विराटनगर
2. घासीराम } पुत्रान श्योसहाय जाति गुर्जर निवासी पापडा
3. बोदूराम } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

5. चन्दा चांदवानी पत्नी भगवानसहाय जाति सिन्धी निवासी बी–548 इन्द्रविहार ब्लॉक–बी, वार्ड सं॰ 39 तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. पुनम पजवानी पत्नी निर्धर पजवानी जाति सिन्धी निवासी 946, रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर।
7. नन्दाराम } पुत्रान मामराज
8. पुरण }
9. नारायणी पत्नी शिम्भूदयाल
10. रतनलाल पुत्र शिम्भूदयाल
11. भैंरूलाल }
12. रमेश } पुत्रान पांचूराम
13. रामचन्द्र }
14. किशनलाल }
15. हनुमानसहाय } पुत्रान ओमकार
16. कैलाशचन्द }
17. पांची देवी पत्नी ओमकार

(7 से 17 तक) समस्त जाति माली निवासी विराटनगर जिला जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं सीमांकन पत्थरगढी

उपस्थित : श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी
पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

<u>निर्णय दिनांक 28.06.2018</u>

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चक खारडा के खसरा नम्बर 8 लगायत 17 एवं 30 कुल किता 11 रकबा 2.68 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 20 लगायत 24 किता 5 रकबा 1.10 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 25 लगायत 29 किता 5 रकबा 1.14 हैक्टेयर भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त आराजी के समीप राजस्व ग्राम पापडा के खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 1882, 1883, 1886 तथा 1894 लगायत 1905 कुल किता 15 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की भूमि है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2, 3 के हिस्से को छोडकर अन्य खातेदारान के हिस्से को खरीद किया जाना जाहिर किया है, जिसका हिस्सा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य प्रतिवादीगण की सहायता से अपनी खरीदशुदा भूमि के समीप ही वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि पर अपना जबरन कब्जा करना चाहता है, जिसके चलते प्रतिवादीगण ने अपनी भूमि का बिना सीमाज्ञान करवाये ही वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि पर पत्थर, बजरी डाल दिये है तथा जल्द ही निर्माण शुरू करने की धमकी दे रहे हैं। अतः निवेदन है कि ग्राम चक खारडा के खसरा नम्बर 8 लगायत 17 एवं 30 कुल किता 11 रकबा 2.68 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 20 लगायत 24 किता 5 रकबा 1.10 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 25 लगायत 29 किता 5 रकबा 1.14 हैक्टेयर वादी की भूमि एवं प्रतिवादीगण के खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 1882, 1883, 1886 तथा 1894 लगायत 1905 कुल किता 15 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर ग्राम पापडा की भूमि के मध्य सीमाकंन करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, अपने मनचाहे अनुसार सीमाचिन्ह निर्मित नहीं करें तथा भूमि के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।
2. वादीगण ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 20, 21, 29, 41 संवत् 2070–2073, फोटोप्रति नक्शा शीट ग्राम चक खारडा आदि पेश किये।
3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर, प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पापडा में पेश हुई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों, का अवलोकन किया गया ग्राम चक खारडा के आराजी खसरा नम्बर 8 लगायत 17 एवं 30 कुल किता 11 रकबा 2.68, खसरा नम्बर 20 लगायत 24 किता 5 रकबा 1.10 एवं खसरा नम्बर 25 लगायत 29 किता 5 रकबा 1.14 हैक्टेयर की खातेदारी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के खातेदारी भूमि के पास ग्राम पापडा के खाता संख्या 41 में दर्ज खसरा नम्बर 1882, 1883, 1886 एवं 1894 लगायत 1905 कुल खसरा 15 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर प्रतिवादीगण की भूमि है। वादी, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि अलग–अलग राजस्व ग्रामों में स्थित है, जिसकी सीमा को लेकर विवाद है। यह भी कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी के मध्य अभी तक कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, बिना कानूनी बंटवारा के किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि की सीमा या हिस्सा विशेष चिन्हित नहीं किया जा सकता है तथा न ही अन्य किसी खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है। यह भी कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी आराजी का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है, तथा बिना सीमा निर्धारण किसी भी खातेदार की भूमि के स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित नहीं करवाये जा सकते हैं। वादी का प्रस्तुत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पूर्ति नहीं किये जाने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है।

6. परिणामतः वादी वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

आदेश

वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प पापडा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अर्ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत पापडा, दिनांक : 28.06.2018

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. टीकमसिंह पुत्र ओमसिंह राजपूत निवासी विराटनगर हाल 198 महाराणा प्रतापनगर, खातीपुरा जयपुर **—— वादी**

बनाम

1. बंशीधर योगी पुत्र सुरजमल योगी जाति जोगी निवासी गणेश जी मंदिर रोड विराटनगर, तहसील विराटनगर
2. घासीराम } पुत्रान श्योसहाय जाति गुर्जर निवासी पापडा
3. बोदूराम } तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— प्रतिवादीगण

5. चन्दा चांदवानी पत्नी भगवानसहाय जाति सिन्धी निवासी बी–548 इन्द्रविहार ब्लॉक–बी, वार्ड सं. 39 तहसील लाडपुरा जिला कोटा
6. पुनम पजवानी पत्नी निर्धर पजवानी जाति सिन्धी निवासी 946, रामनगर शास्त्रीनगर जयपुर।
7. नन्दाराम } पुत्रान मामराज
8. पुरण }
9. नारायणी पत्नी शिम्भूदयाल
10. रतनलाल पुत्र शिम्भूदयाल
11. भैंरूलाल }
12. रमेश } पुत्रान पांचूराम
13. रामचन्द्र }
14. किशनलाल }
15. हनुमानसहाय } पुत्रान ओमकार
16. कैलाशचन्द }
17. पांची देवी पत्नी ओमकार

(7 से 17) समस्त जाति माली निवासी विराटनगर जिला जयपुर

—— तरतीबी प्रतिवादीगण

7. **मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या** 67/2015 **दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं सीमांकन पत्थरगढी** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री अवधेश कुमार शर्मा एडवोकेट** व हाजरी ....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम चक खारडा के खसरा नम्बर 8 लगायत 17 एवं 30 कुल किता 11 रकबा 2.68 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 20

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लगायत 24 किता 5 रकबा 1.10 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 25 लगायत 29 किता 5 रकबा 1.14 हैक्टेयर वादी की भूमि एवं प्रतिवादीगण के खाता संख्या 41 के खसरा नम्बर 1882, 1883, 1886 तथा 1894 लगायत 1905 कुल किता 15 कुल रकबा 5.45 हैक्टेयर ग्राम पापडा की भूमि के मध्य सीमाकंन करवाया जाकर पत्थरगढी करवायी जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें, अपने मनचाहे अनुसार सीमाचिन्ह निर्मित नहीं करें तथा भूमि के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पापडा में मजमा–ए–आम सुना गया। वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने अपनी–अपनी आराजी का सीमाज्ञान भी नहीं करवाया है, तथा बिना सीमा निर्धारण किसी भी खातेदार की भूमि के स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित नहीं करवाये जा सकते हैं।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादी का वादपत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 28.06.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प पापडा में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 28.06.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।